

2025/845

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- भू.अ./20 /

दिनांक:- / / 20.

प्रेषित:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री देवीलाल पिता भागु
शेलाहेडा प.ह. शेलाहेडा के राजस्व ग्राम शेलाहेडा में जमाबन्दी संवत्
की खाता संख्या 275 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम मेवालाल किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम मेवालाल को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- सीडर/2025/867

दिनांक: 17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का शेलाहेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री देवीलाल पिता भागु

राजस्व ग्राम शेलाहेडा प.ह. शेलाहेडा की खाता संख्या 275 में

जाति/नाम देवीलाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति मेवालाल के रिपोर्ट द्वारा

पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति

सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मेवालाल पिता भागु

जाति/नाम मेवालाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित

करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. शेलाहेडा राजस्व रि.

उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

विचार

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।